


26/7/2021

वकील फ्रीकेन उपस्थित नोंका रिपोर्ट
प्राची प्रेश डई जो शामिल पत्रायकी
की गई पत्रायकी मे प्राप्पन 07R11
(1) CPC स्वीकार किया गया/ निर्णय
पुचर से लिखाया जाऊ शामिल पत्रायकी
किया गया पत्रायकी निर्णय प्राप्पन
07R11 (2) CPC स्वीकार होने पर दावा
कारि रकारिज किया जाऊ है पत्रायकी
फैसल शुमार होऊ नम्बर से कय
होऊ बाद तकनीक दारिब डपतर है


उपखण्ड अधिकारी
कौली (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु.नं.	ता.रजूजी	सीएम नम्बर	निर्णय दिनांक
22/21	26.06.2021	2021/63	26.07.2021

आदेश निर्णय दिनांक 26.07.2021

ऑर्डर 7 रूल 11(डी) सी पी सी

सक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी नम्बर 8 की आरे से यह प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (डी) सी पी सी का इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण ने खसरा नम्बर 6574 जो कस्बा करौली में मैगजीन पर स्थित है सही तथ्यों को छुपाकर न्यायालय को गुमराह कर दावा व दर0 अस्थायसी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किये हैं। मौके पर आराजी खसरा नम्बर 6574 रकवा 1 बीघा 07 विस्वा जमीन में एक इंच भी जमीन काशता नहीं है ना ही विगत 30 साल से काशत की गयी है मौके पर नक्शा संलग्न अनुसार लवे सडक करौली गंगपुर पर रामदयाल पुत्र सुगन जो फौत हो चुके है उनके वारिसान बनी पुख्ता मकान पर काबिज हैं इसके उत्तर में प्रार्थी पुख्ता दुकान बनी हुयी है इसके उत्तर में रामभरोसी गुप्ता पुत्र कछिया महाजन जो फौत हो चुके हैं। की दुकान पुख्ता बनी हुई है जिस पर इनके वारिसान काबिज हैं। इसके उत्तर में भूदेव पुत्र बृजमोहन शर्मा की मकानीयत व इसके उत्तर में रामस्वरूप पुत्र गूजरमल महाजन की मकानीयत बनी हुई जो उसने दीगर व्यक्तियों



संतोष, प्यारेलाल वगैरहा को फरोक्त कर दी है। एवं पुख्ता निर्माण पर काबिज हैं इन दुकानों व गकानों की पश्चिम दिशा में शकूर खां, करीम खां एवं शाबरा की कब्जे शुदा जायदाद है उक्त सभी जायदाद छिंगा द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा अपवने जीवन काल में विक्रय की जा चुकी है। प्लाट नम्बर 1, 2 एवं 3 शकूर वगैरहा के नाम आवासीय पट्टे सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर इनको सतीश, ओमप्रकाश, विमला को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय की जाकर काबिज कब्जा देकर करा दिये एवं मौजूदा में क्रेतागण ने नगरपरिषद करौली से पट्टों का नामान्तकरण अपने नाम करा लिये हैं। सभी तथ्यों की वादीगण को जानकारी होते हुए पता नहीं पर उजागर नहीं किया है। जमीबंदी इन्द्राज का नाजायज एवं गैरकानूनी फायदा लेने को पेश कर तारीख पेशी से पूर्व वगैर प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिये वगैर तथ्यों को छुपाकर न्यायालय से गैरकानूनी स्थगन आदेश प्राप्त किया जो निरस्सत किये जाने योग्य है। न्यायालय हाजा केवल कृषि भूमि के बावत ही प्रकरण को सुनने का अधिकार है। आवासीय भूमि के सभी मामले दीवानी अदालत द्वारा ही सुनवाई योग्य है। आदेश 7 नियम 11(डी) सी पी सी के तहत वार्ड वाई लॉ होने के कारण दावा व प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने व दावा खारिज किये जाने निवेदन किया है।



अप्रार्थीगण वादीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र व आदेश 7 नियम 11 सी पी सी प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादी नम्बर 6 खिलाफे कानून एवं कानूनी रूप से निरर्थक होने के कारण एवं प्री मैच्योर स्टेज पर पेश होने के कारण खारिज योग्य है। वादीगण द्वारा दावा मुताबिक राजस्व अभिलेख जमाबंदी में वर्णित वादीगण के हिस्से की आराजी के बंटवारा हेतु पेश किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 6574 कृषि भूमि के रूप में जमाबंदी में अंकित है जो किसी नगरीय स्कीम के तहत ना तो किस्म बदलकर आबादी में दर्ज हुयी है और ना ही नगरपरिषद करौली के नाम हस्तान्तरित हुयी है। प्रतिवादी संख्या 6 प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी नम्बर 8 के रूप में गलत दर्शित किया गया है जिसके द्वारा दावा का कोई जवाब पेश नहीं कर सीधे उक्त प्रार्थना पत्र गलत तरीके से पेश किया गया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। आदेश 7 नियम 11 (डी) सी पी सी के अनुसार वाद किस विधि द्वारा वर्जित है यह तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है जबकि विधि का यह स्वस्थापित सिद्धान्त है कि आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के तहत वादी द्वारा पेश किये गये वाद पत्र व उसके साथ में पेश किये गये दस्तावेजों को ही देखा जाना है ना कि प्रतिवादी द्वारा पेश किया गया आवेदन अथवा दस्तावेज किस प्रकार प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र पर खिलाफे कानून होने के कारण खारिज होने योग्य है। विधि

Am

अनुसार बंटवारा का वाद केवल मात्र सहखातेदार के विरुद्ध ही पेश किया जाना है अन्य दीगर व्यक्तियों की हैसियत अजनबी व अतिक्रमी के रूप में मानी गयी है। इस कारण प्रार्थना पत्र में वर्णित आवासीय पट्टेशुदा भूखण्डधारी आवश्यक पक्षकार नहीं रह जाते यदि वह स्वयं चाहे तो प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु प्रथक से आवेदन करने हेतु स्वतंत्र हैं। बंटवारे के दावा में उक्त व्यक्तियों के नाम राजस्व कर्मचारियों के द्वारा राजस्व अभिलेख में अंकित नहीं करने के कारण उन्हें दर्ज नहीं किया गया है तथा उक्त समस्त तथ्यों जानकारी भी वादीगण को दावा दायरी के समय नहीं थी इस प्रकार दर0 प्रतिवादी नम्बर 6 खिलाफ कानून होने के कारण खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी अपने उक्त समस्त तथ्यों को अपने जवाब दावे में उठाने के लिये स्वतंत्र है। अन्त में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस अपील उभयपक्ष प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी प्रतिवादी नम्बर 6 का बहस में कथन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी किसी भी स्टेज पर पेश किया जा सकता है। टी आई का जवाब पेश कर दिया है। विकय पत्र के बाद राजस्व इन्द्राज करना पटवारी का दायित्व है। कब्जा वादीगण 40 साल से बता रहे हैं परन्तु कोई गिरदावरी पेश नहीं की

ka

है। आवादी के पटटे प्रार्थना पत्र जवाब के साथ पेश किये हैं व शपथ पत्र भी पेश किया है। नामान्तरण पेश किया है। भूमि आवादी है। जिसका दावा न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। वादीगण के आवादी के तथ्यों को छुपाकर दावा पेश किया है। वादीगण शुद्ध हस्त से न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं। पटवारी हल्का की रिपोर्ट 26.07.2021 में भूमि का कृषि से कृषि उपयोग होना व मकानीयत बनी होना बताया है। दावा वादी क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जावे।

वकील अप्रार्थीगण वादीगण का बहस में यह कथन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रतिवादी नम्बर 6 प्रीमैच्योर स्टेज पर पेश किया गया है। प्रतिवादी नम्बर 6 द्वारा कभी जवाब दावा पेश नहीं किया है दावा बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का है। फरीकेन के पिता व पति रामसिंह का हिस्सा जमाबंदी में अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सभी सहखातेदारान को पक्षकार बनाया गया है। भूमि नगरपरिषद करौली के नाम नहीं हुई है। आदेश 7 नियम 11 सी पी सी में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजातों को ही देखा जाता है ना कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को राजस्व रिकार्ड के आधार पर दावा वादीगण में पेश किया गया है। अजनबी प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया जाता है वह एक अजनबी अतिकमी होता है बिना जवाब



दावा पेश किये वगैर प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रतिवादी चलने योग्य नहीं है। अन्त में प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।


बहस अपील उभयपक्ष का मनन किया गया पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेज वयनामा व आवासीय पट्टे का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 26.07.2021 को प्रस्तुत रिपोर्ट का विवेचन किया गया एवं प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीरों आर आर डी 1975 पेज 191, ए आई आर 1997 पेज 2181, ए आई आर 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज 2005, ए आई आर 1995 राजस्थान पेज 146, ए आई आर 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 960, ए आई आर 1992 पेज 197, सी डी आर 2009 नोट एससी पेज 716, आर आर डी 1979 पेज 1, आर एल आर (1) 1989 पेज 195, ए आई आर 1995 एस सी पेज 2001, का एवं अप्रार्थी वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरों आर एल आर 1985 पेज 281 आर एल डब्ल्यू (4) 2012 पेज 3371 का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज आवासीय पट्टे व वयनामा एवं रिपोर्ट पटवारी दिनांक 26.07.2021 से खसरा नम्बर 6574 को आबादी भूमि होना, आबादी मकानीयत व दुकानात निर्माण होकर बसी होना भलीभांति प्रकट है। आदेश 7 नियम 11 (डी) सी पी सी के तहत न्यायालय हाजा को आवासीय भूमि का वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण वादीगण अप्रार्थी आदेश 7 नियम 11 के तहत



इसी स्तर पर चलने योग्य नहीं होने से व क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाना योग्य है।

अतः प्रार्थना प्रार्थी प्रतिवादी नम्बर 6 आदेश 7 नियम 11 (डी) स्वीकार किया जाता है दावा वादीगण अप्रार्थी क्षेत्राधिकार विहित होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 26.07.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।


(देवेन्द्र कुमार परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (सुपु) अधिकारी

करौली